

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONESS.No. 01.....Date... 28/06/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय-वनमण्डल सीमा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष PF-399 के रकबा 2.21 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), म0प्र0 का पत्र क्रमांक एफ-1/837/2022/10-11/Q-13 दिनांक 21/06/2023

---0---

उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा 19 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है :-

1. वन विभाग से संबंधित है।
2. हमारे द्वारा इस प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन सीमा से लगी हुई उपलब्ध कराई गई है।
3. हमारे द्वारा इस प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि वन क्षेत्र के बाहर है तथा वन सीमा से लगी हुई है। सम्भवतः पोर्टल पर वन सीमा में शिफ्टिंग के कारण यह त्रुटि परिलक्षित हो रही है।
4. वन विभाग से संबंधित है।
5. प्रस्तावित वनभूमि से किसी प्रकार की रेलवे लाईन, विद्युत लाईन, सड़क या नहर इत्यादि नहीं गुजर रहे हैं। अतः इन विभागों की अनापत्ति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
6. यह प्रस्ताव हमारी निजी फर्म का है। फर्म द्वारा इस खदान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतः किसी प्रकार की प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones Prop.

PROPRIETOR

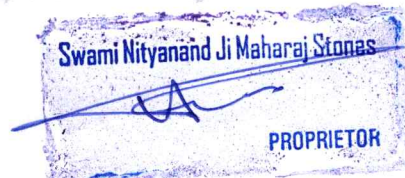
M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No.....

Date.....

7. प्रस्तावित वनक्षेत्र सोन अभ्यारण्य से 9.24 कि.मी. की दूरी पर है। सोन अभ्यारण्य का ईको सेंसेटिव जोन 2 कि.मी. का है। अतः प्रस्तावित खदान न तो किसी अभ्यारण्य में है और न ही किसी ईको सेंसेटिव जोन में आती है। अतः वन्यप्राणी अनुमति अथवा अभिमत लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
8. इस खदान के माईनिंग प्लान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
9. इस प्रस्ताव में आवश्यक वनभूमि का रकबा 2.8 हेक्टेयर है। इस आवश्यक वनक्षेत्र की कार्यवार आवश्यकता के अनुसार विवरण प्रस्ताव के भाग-1 में बिन्दु क्रमांक B-2.4 पर अपलोड कर दिया गया है।
10. प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही जारी होती है। प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।
11. इस संबंध में खनिज अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
12. हमारे द्वारा इस क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन नहीं किया गया है। न ही यह वन भूमि अभी हमें हस्तांतरित हुई है।
13. भाग-1 में विवरण दर्ज कर दिया गया है। सेफिटिजोन की KML फाईल प्रस्ताव के भाग-1 में अपलोड कर दी गई है।
14. राज्य शासन द्वारा इन खदानों की स्वीकृति की प्रक्रिया अलग-अलग की गई है। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा अलग-अलग आदेशों से यह खदान हमें आवंटित की है।
15. यह खदान एक छोटी खदान है, जिसका कोई विपरीत असर आस-पास के जलाशयों पर नहीं पड़ेगा। इस खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करते समय इस बिन्दु पर विचार कर लिया जायेगा।

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones



Prop.

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONESS.No...81.....Date...28/06/23

16. वन विभाग से संबंधित है।
17. यह खदान वन भूमि की राजस्व सीमा से लगी हुई है। माईनिंग प्लान में बिन्दु क्रमांक 4.18, पेज क्रमांक 18 में खनिज परिवहन की योजना का वर्णन है।
18. इस खदान का मलबा किसी प्रकार से वनक्षेत्र में या स्वीकृत खदान के बाहर के वनक्षेत्र में नहीं डाला जायेगा। इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
19. बिन्दु-11 में दिये विवरण अनुसार यह खनिज वन क्षेत्र में ही उपलब्ध है। खनिज अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ललित पधाल)

स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

दिनांक

पृ0 क्रमांक 81
प्रतिलिपि—

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश

स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Prop.

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No.....

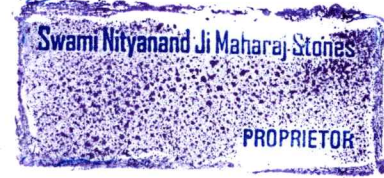
Date...28/06/2023

वचन पत्र

हम यह वचन देते हैं कि इस प्रस्तावित खदान से उत्पादित मलबा न तो इस खदान में चाही गई वनभूमि में डाला जायेगा और न ही किसी अन्य वनक्षेत्र में डाला जायेगा।

(ललित पधांल)

स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर



For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Prop.



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 299135



क्रमांक/मा.चि./ 5617
प्रति,

रीवा, दिनांक 23-06-23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(नू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)

विषय :- वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 के रकबा 2.21 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत्। ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/152429/2022

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीआर 010/2023-बीएचओ/दिनांक 30.05.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/ एफ-1/837/ 2022/10-11/क्यू-13 भोपाल दिनांक 21.06.2023

-----00-----

विषयांतर्गत अनुरोध है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 02 अनुसार चाही गई बिन्दु क्रमांक 01, 04 एवं 16 की जानकारी इस कार्यालय से चाही गई है, जिसे टेबुलर फार्म में तैयार कर संलग्न है। बिन्दु क्रमांक 11 एवं 19 की जानकारी कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त की जाकर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्बंधित है।

क्र.	भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1	Complete CA scheme shall be submitted/uploaded.	जानकारी वनमण्डल दक्षिण सागर से संबंधित है।
4.	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	संलग्न है।
11.	Status of same minerals surrounding revenue area from competent authority shall be submitted.	कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 2157 दिनांक 23.06.2023 से अवगत कराया गया है कि आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगन्य है। (छायाप्रति संलग्न)
16.	Status of Present land use in the proposed area (counter signed by DFO) needs to be submitted.	संलग्न है।
19.	The certificate from Competent Authority about non availability of the same minerals in surrounding/nearby non-forest area shall be submitted.	कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 2157 दिनांक 23.06.2023 से अवगत कराया गया है कि आवेदित स्थल पर खनिज सेंड स्टोन (क्वाजिटिक) प्रकृति का है जो वनभूमि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र से दूरस्थ दूरी पर खनिज गिट्टी, पत्थर उत्खनि पट्टा स्वीकृत होकर संचालित है। आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगन्य है। (छायाप्रति संलग्न)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(चन्द्रशेखर सिंह भा.व.से.)

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र./मा.चि./ 5618

रीवा, दिनांक/ 23-06-23

प्रतिलिपि :-

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. श्री ललित पंघाल, प्रोपराइटर, स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76, सेक्टर 13 हुद्दा भिवानी, हरियाणा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

23/06

Justification

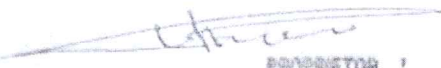
आवेदक द्वारा वनमण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र हनुमना के ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना की शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 677/2क में रकबा 2.80 हेक्टेयर वन भूमि में खनिज पत्थर (घाँनेकीय विधि से गिट्टी निर्माण) उत्खनन किया जाना है। उक्त क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज रोल स्टोन है जो क्वार्ट्जिटिक प्रकृति का है, जिसे गौण खनिज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खनिज पत्थर की उपलब्धता को देखते हुए उक्त प्रस्तावित खनिज पत्थर का उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाता है तो खनिज राजस्व में वृद्धि होगी एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

95


वनमण्डलाधिकारी
वनमंडल, रीवा

(ललित पंघाल)
प्रोपराईटर
म.न. 975/76 सेक्टर, 13 हुड्डा भिवानी
हरियाणा

Swami Nityananda Ji Maharaj Danda


PROPRIETOR

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा (म.प्र.)

E-mail- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / 2157 / खनिज / 2023

रीवा दिनांक 23/06/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

विषय :- वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 के रकबा 2.210 हे० वन भूमि में सैंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत्। आनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/152429/2022

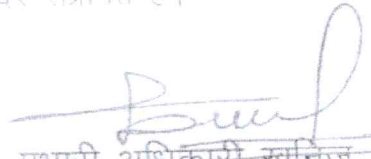
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 5563 दिनांक 22.06.2023

---X-X-X---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र के संबंध में लेख किया गया है कि वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 के रकबा 02.210 हे० के संबंध में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में जांच खनि निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

जिसके अनुसार आवेदित स्थल पर खनिज सैंड स्टोन (क्वार्टजिटिक) प्रकृति का है। आवेदित क्षेत्र (वन भूमि) में प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र से दूरस्थ दूरी पर खनिज गिट्टी, पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर संचालित है। आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगण्य है। वांछित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

पृष्ठां. पत्र क्रमांक /
प्रतिलिपि.

/ खनिज / 2023

रीवा दिनांक.....

आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, प्रो. श्री ललित पंधाल निवासी स्टोन हाउस 975/76, सेक्टर 13, हुड्डा भिवानी, हरियाणा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

बिन्दु क्रमांक 16

Status of present land use in the proposed area (counter signed by DFO)
needs to be submitted.

वनमण्डल रीवा अंतर्गत परिक्षेत्र हनुमना के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 339 के खसरा नम्बर 677/2क का रकबा 2.80 हेक्टेयर बिगड़े वनों का सुधार कार्य वृत्त (आर.डी.एफ.) अंतर्गत आता है।


वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल, रीवा (स.प्र.)